COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(36)

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

निगरानी संख्या -

निग० 1762-I/07

1- प्रेम लाल तनय गौरे लाल काछी

2- किशोरी काछी तनय गौरे लाल काछी

3- महेश काछी तनय गौरे लाल काछी

4- गनपत काछी तनय सूरा काछी

5- गोरेलाल काछी तनय सूरा काछी

समस्त निवासीयान ग्राम बनियानी तह. बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

-- निगराकारगण

बनाम

1- कन्जू काछी तनय बन्दू काछी

2- नंद लाल तनय बन्दू काछी

3- मनप्यारे तनय बन्दू काछी

4- मौन लाल तनय रूप लाल काछी

5- हरजू काछी तनय रूप लाल काछी

6- प्रभू काछी तनय रूप लाल काछी

7- रमेश तनय रूप लाल काछी

8- रूप लाल तनय कन्हैया लाल काछी

9- नरेन्द्र कुमार ब्राम्हण तनय धनीराम ब्राम्हण

समस्त निवासीयान ग्राम बनियानी तह. बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

-- प्रतिनिगराकारगण

RP 3829 ... पोस्ट द्वारा आज ... 29-10-07 को प्राप्त ... क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 3156 29-10-07

निगरानी प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरि... के प्र.क. निगरानी 161 /अ.-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1762–एक/07 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/3/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमाक 161/अ–27/2006–076 में पारित आदेश दिनांक 14–3–07 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 13–10–05 द्वारा पारित की । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें उन्हांने 14–11–06 को आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण गुणदोषा के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3/ आवेक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था जिसे स्थिर रखने में एस.डी.ओ. ने कोई त्रुटि नहीं की थी । एस.डी.ओ. का आदेश अपीलीय आदेश था परंतु अनावेदक कमांक 1 से 3 द्वारा अपील न करते हुए अपर कलेक्टर के समक्ष अवधि बाह्य निगरानी की जिसमें अपर कलेक्टर ने बिना क्षेत्राधिकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये हैं जो अवैधानिक आदेश है । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्य को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है । 4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही न करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया है इसलिए अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश उचित हैं, जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया जाकर आवेदक की निगरानी को निरस्त किया है । उन्होंने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि प्रकरण में संहिता की धारा 178 के अनुसार विधिवत कार्यवाही नहीं की गई है । इश्तहार का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1762–एक/07 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकाशन मात्र 15 दिवस का जारी किया गया है जबकि बटवारा नियम 2 केक अनुसार इश्तहार 30 दिवस से कम का नहीं होना चाहिए । उन्होंने यह भी पाया है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर बटवारे स्थल पर पहुंचने की कोई सूचना नहीं दी है एवं बटवारा नियमों का पालन नहीं किया गया है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	